



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092025-265932  
CG-DL-E-03092025-265932

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2025/भाद्र 10, 1947

No. 596]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2025/BHADR 10, 1947

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2025

सं. 1-सीए (7)/235/2025.—भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 159(1क) के अनुसरण में तारीख 13 अगस्त, 2025 से गोंदिया जिला (महाराष्ट्र) में पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की स्थापना करने की अधिसूचना जारी करती है।

यह शाखा पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् की गोंदिया जिला शाखा के नाम से ज्ञात होगी और इसका मुख्यालय गोंदिया में अवस्थित होगा। निम्नलिखित स्थानों के अलावा शाखा की अधिकारिता संपूर्ण गोंदिया जिले पर होगी :-

1. गोंदिया
2. तिरोडा
3. गोरेगाँव
4. देवरी
5. आमगाँव

6. सालेकसा
7. अर्जुनी मोरगाँव
8. सड़क अर्जुनी

विनियम 159 के उपविनियम (3) के अधीन विहित किए गए अनुसार यह शाखा पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निदेशन के अधीन कार्यकरण करेगी और वह ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगी, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा जारी किए जाएं।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./329/2025-26]

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2025

**No. 1-CA (7)/235/2025.**—In pursuance of the Regulation 159 (1A) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a Branch of Western India Regional Council in Gondia District (Maharashtra) with effect from August 13, 2025.

The Branch shall be known as Gondia District Branch of Western India Regional Council and its Headquarters shall be at Gondia. The Jurisdiction of the Branch besides the following places shall cover whole District of Gondia: -

1. Gondia
2. Tiroda
3. Goregaon
4. Deori
5. Amgaon
6. Salekasa
7. Arjuni Morgaon
8. Sadak Arjuni

As prescribed under sub-regulation (3) of Regulation 159, the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through Western India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./329/2025-26]